फर्जी तरीके से भूमि रकबा बदलने और प्रार्थिया की जमीन का मुआवजा किसी और को दिलाने की शिकायत

पीड़ित ने सामाजिक न्याय संघ से लगाई मदद की गुहार

एनटीपीसी (एमजीआर) रेल्वे लाईन हेतु अधिगृहित की गई भूमि पहनं. 38 रानिमं रायगढ़ - 2 सम्बंधी मामला

शासकीय रिकार्ड में भी हेर-फेर, निम्नस्तर से उच्चाधिकारियों की मिली-भगत उजागर, पुलिस पर भी कार्यवाही नहीं करने का आरोप

ऐसे और भी हैं प्रकरण, सामाजिक न्याय संघ ने कहा कि न्याय हेतु तत्काल सम्पर्क करें

रायगढ़/न्यायसाक्षी। अपने आवेदन में "चंद्रमा भोए" आ. अकुर भोए, जौ.जे. श्री दशरथ, उम्र 60 वर्ष लगभग, निवासी ग्राम जुर्डा, पो. जुर्डा, थाना चक्रधरनगर, रायगढ़, जिला रायगढ़, छ.ग., ने बताया कि फर्जी तरीके से भूमि रकबा को पटवारी एवं अन्य अधिकारियों द्वारा बदलकर मुआवजा अयोग्य को दिलवाया है, और इसके सम्बंध में सामाजिक न्याय संघ से विधिक सहायता की मांग कर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर दोषियों को अभियोजित करने एवं सम्बंधित जमीन का मुआवजा दिलाए जाने बाबत् - कहा गया है।

मामला कुछ यू है कि चंद्रमा भोए आ. अंकुर भोए की स्वयं की हक एवं स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम जुर्डा में स्थित है, जिसका रकबा बदलकर दूसरे को मुआवजा दिलाया गया है।

अपने आवेदन में पीड़ित ने कहा कि मेरी जुर्डा स्थित भूमि जिसका ख.नं. 293/3क एवं 293/8 क है, का रकबा 0.429 हे. थीं। मेरे पिता की मृत्यु दिनांक 23/09/2011 को हुई, जिसके बाद हमारे भाई क्र. 1 उग्रसेन एवं क्र. 02 सुरेशन द्वारा एक आवेदन न्यायालय तहसीलदार रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसका प्रकरण रा.प्र.क्र. 302/अ-60/2012-13 था। जिसमें हम दोनों बहनें क्र. 1 चंद्रमा पति दशरथ एवं क्र. 02 सपना पति मनबोध को अनावेदक बनाया गया था। उक्त प्रकरण पर दिनॉक 31/07/2013 को माननीय न्यायालय ने हमारी सहमति से आदेश दिया कि ''अपने पिता के विधिक वारिसान हम दोनो बहिने अनावेदिकागण उक्त वादभूमि में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहते'' जिसपर हम दोनों बहिने सहमत थीं, निर्णय हमें स्वीकार्य था, और आज भी है। उक्त निर्णय के सापेक्ष में छग भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 के तहत् ग्राम प.ह.नं. 38 स्थित भूमि ख.नं. 293/3 क एवं 293/8 क रकबा 0.429 हे. पर से मृतक भूमिस्वामी अंकुर पिता स्व. लखपति का नाम विलोपित कर आवेदक उग्रसेन एवं सुरेशन दोनों पिता स्व. अंकुर का नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया। आवेदन के साथ अवलोकनार्थ ये दस्तावेज भी प्रस्तुत किया गया है।

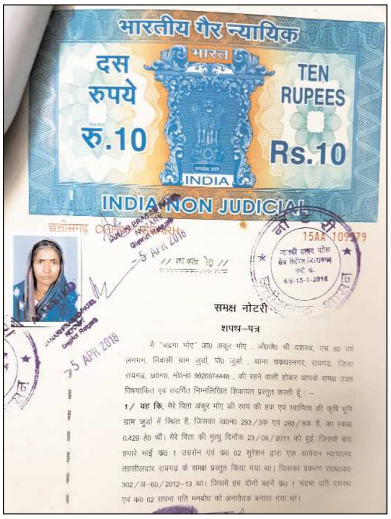

पीड़िता ने कहा कि मेरी माता की भूमि सम्पत्ति भी उक्त ग्राम जुर्डा में थीं, जिसका आपसी सहमति से बंटवारा हुआ था, जिसमें से मेरे हिस्से में ख. नं. 293/3 ख एवं 293/8 ख जिसका रकबा .081 था, आई थीं, जिससे सम्बंधित दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। यह भी कहा कि, शासन के आदेश के तहत् जो भी छोटे बटांकन थें, उनको निरस्त कर समस्त भूमि को मूल खाते में अंतरित किया गया था जिसके फलस्वरुप मेरा उक्त बटांकन भी मूल खाते में अंतरित हो गया जिस पर हम चारों खातेदार थें।

पीड़िता ने कहा कि, उक्त विषयांकित जो प्रस्तावित रेल्वे लाईन थीं, उसे हमारे पास उपलब्ध सर्टिफाईड नक्शें के सापेक्ष में 293/8क एवं 293/8ख से गुजरने हेतु प्रस्तावित थीं, जिसे पटवारी के द्वारा मूल नक्शे में सुधार कर शासकीय दस्तावेज में हेर-फेर किया, इस कार्य में आर.आई. से लेकर सभी सम्बंधित अधिकारी भी शंका के दायरे में हैं। इसका मुआवजा 28,40,141/- रु. अक्षरांक अट्ठाईस लाख चालीस हजार एक सौ इक्तालिस रुपये एवं बोनस 5,00,000/- रु. अक्षरांक पाँच लाख रुपये की रकम को, जिसे प्रदान किया गया, वो हितग्राही ही नहीं था। कहा कि इस प्रकार हमारे साथ नाईसाफी हुई है।

पीड़िता ने कहा कि, उक्त समस्त दस्तावेज से पूरा प्रकरण जाहिर होता है, तत्काल प्रभाव से पटवारी सस्पेंड किया जाकर, न्यायोचित आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना न्यायोचित होगा, ताकि उक्त वक्त एवं उसका साथ देने वाले अन्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी जांच को प्रभावित नहीं कर सकें।

पीड़िता ने कहा कि, हमारा आपसे निवेदन है कि मैं पीड़ित हूं, और बहुत परेशान हूं, मैं यह आवेदन मय दस्तावेज आपके समक्ष सामाजिक न्याय संघ के माध्यम से मय शपथपत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। इस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही कराया जाकर न्याय दिलाए जाने की कृपा की जावे।

इस मामले को संज्ञान में लेकर समस्त दस्तावेजों के साथ सामाजिक न्याय संघ ने इसे 1/श्रीमान राज्यपाल महोदय, राजभवन, 2/मुख्यमंत्री, 3/ पुलिस महानिदेशक, 4/ पुलिस महानिरीक्षक, 5/ कलेक्टर, रायगढ़ 6/ एस.पी., रायगढ़ 7/ एस.डी.एम., रायगढ़, एवं 8/ थाना प्रभारी, थाना चक्रधरनगर, रायगढ़, छ.ग., को भेजा है।

पीड़िता ने कहा कि, सामाजिक न्याय संघ द्वारा की गई कार्यवाही पर, थाना चक्रधरनगर में कार्यरत् पाणिग्राही ने उसे बयान हेतु, थाना बुलाया और पीड़िता का बयान लिया, और उसे करेंट का बी1 एवं खसरा लाने को कहा, जो कि पटवारी ने ऑनलाईन चढ़ाया ही नहीं है, जॉच के रूकने से पीड़िता को लगता है कि इतने दस्तावेज सर्टिफाईड कॉपी में देने के बाद पुलिस ऐसे दस्तावेज की मॉग कर रही है, जो कि मेरे द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता, जिससे जाहिर होता है कि पुलिस के द्वारा पटवारी को बचाने का प्रयास कर रही है। जिस पर पीड़िता ने कहा कि वो न्यायालय के समक्ष न्यायहित हेतु आवेदन लगाएगी।

पीड़िता ने कहा कि, उक्त प्रकरण में मूल सर्टिफाईड नक्शें को देखा जाए तो निम्नांकित बिन्दु प्रमाणित करते हैं कि शासकीय रिकार्ड में हेर-फेर सम्बंधित अधिकारियों की मिली-भगत से हुई -

1/ मूल नक्शें में 293/8 क एवं 293/8 ख नहीं है? जो कि हेर-फेर को प्रमाणित करता हैं।

2/ मूल नक्शें में 293/3 क दो जगह हैं, दो बार हैं, एक ही नम्बर की जमीन का दो जगह होना शासकीय रिकार्ड में हेर-फेर करने के आपराधिक प्रकरण को पंजीबद्ध किए जाने हेतु सक्षम साक्ष्य हैं।

3/ मूल नक्शें में 293/8ख की जमीन ही नहीं हैं, शासकीय रिकार्ड में हेर-फेर करने के आपराधिक प्रकरण को पंजीबद्ध किए जाने हेतु सक्षम साक्ष्य हैं।

4/ प्रकरण में अंसिचित भूमि को सिंचित बताया जाकर मुआवजा दिया गया है, जो कि जांच किए जाने पर जाहिर हो जाएगा, यह भी उल्लेखित हैं कि यह सब पटवारी एवं अन्य सम्बंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों की मिली-भगत से हुआ हैं।

राष्ट्रीय मंच पर चला रायगढ़ घराने के कत्थक का जादू

पुणे में सभी एवार्डो पर जमाया कब्जा

रायगढ़। पुणे महाराष्ट्र के राष्ट्रीय मंच पर रायगढ़घराने के कत्थक का जादू सभी के सर चढ़कर बोला। 16 से भी अधिक एवार्ड रायगढ़ कत्थक के बच्चो को मिला। रायगढ़ घराने के युवा नृत्य गुरु शरद वैष्णव व वैष्णव संगीयत महाविद्यालय की टीम ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। रायगढ़ से गए सभी बच्चो ने शानदार नृत्य किया सभी केटेगरी के एवार्ड पर कब्जा जमाया।

अखिल लोक कला साक्ष्कृतिक संघ पुणे महाराष्ट्र द्वारा आयोजित अखिल भारतीय नृत्य संगीत प्रतियोगिता 2018 में अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगीत संस्था वैष्णव संगीत महाविद्यालय रायगढ़ के बाल एवं युवा कत्थक नर्तकों ने रायगढ़ घराने के कत्थक का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इनके शानदार प्रदर्शन पर पुरुस्कारो की बारिश होने लगी। महाविद्यालय की नौ प्रस्तुति में सभी में रायगढ़ ने पुरूस्कार जीतकर नया कीर्तिमान रचा। रायगढ़ के नर्तकों ने सब ज्युनियर एकल कत्थक सेक्रेटरी एवार्ड ध्वयांशी पणिकर, सब ज्युनियर समूह कत्थक द्वितीय आरहाण साव आशिता सिकंदर, आस्था देशमुख ,स्तुति देशमुख, खुशी अग्रवाल, प्रियंका उपाध्याय भावयांशी पणिकर राशि कटियार, पूर्णा डनसेना ने जीता। वही ज्युनियर एकल कत्थक चित्रांशी पणिकर ने जीता। धारिणी ने सेक्रेटरी एवार्ड जीता, ज्युनियर समूह कत्थक सेकेट्री एवार्ड आरएसवी एच जोशी, सुरभि राज, दामिनी चौहान, होतव्यता सिंह, देविका गुप्ता, झलक विशवास, दीक्षा स्वर्णकार, दीपानंदी पटेल ने जीता, इसके बाद सीनियर समूह कत्थक प्रथम उत्कृष्ट एवार्ड परितोष उपाध्याय ने जीता तो सेकेट्री एवार्ड इशिता ताम्रकार, सीनियर समूह कत्थक प्रथम उत्कृष्ट एवार्ड तब्बू परवीन बरखा देवांगन, प्रिय वैष्णव, भीमसेन सारथी, परितोष उपाध्याय व इशिता स्वर्णकार ने जीता। पुणे के इस मंच पर कत्थक नृत्य का शानदार प्रदर्शन कर सभी का दिल जीता। इस प्रतियोगिता के सभी विजेता व उपविजेताओं को अंतराष्ट्रीय नृत्योंत्सव दिसंबर 2018 बैंकाक चीन में नृत्य प्रस्तुति हेतु आमंत्रित किया गया है। इन सभी कलाकारों ने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कत्थक नर्तक एवं गुरु शरद वैष्णव के नृत्य निर्देशन व पंडित सुनील वैष्णव और बासंती वैष्णव संगीत निर्देशन में अपने नृत्य की प्रस्तुति दी है। इन सभी बाल एवं युवा कलाकारों को इस चमकीली सफलता के लिए समाज सेवी संगठन, गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधियों ने सभी कलाकारों का रायगढ़ रेलवे स्टेशन में पहुंचकर सम्मान किया और शुभकामनाये दी।

अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए ऋण लेने हेतु 31 मई तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। अनुसूचित जनजाति वर्ग में स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु निगम द्वारा 2018-19 के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की गई है। उक्त योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक जो ऋण लेने के इच्छुक है वे 31 मई 2018 शाम 5.30 बजे तक अपना आवेदन कार्यपालन अधिकारी/क्षेत्राधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कलेक्टर कार्यालय कक्ष क्रमांक 94 में जमा कर सकते है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन योजनाओं के तहत लक्ष्य प्राप्त हुए है इनमें आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, इकाई लागत 1 लाख रु. (केवल महिलाओं के लिए 4 प्रतिशत ब्याज दर पर), स्माल बिजनेस योजना इकाई लागत 1 लाख रु., स्माल बिजनेस योजना इकाई लागत 2 लाख रु., स्माल बिजनेस योजना इकाई लागत 3 लाख रु. (6 प्रतिशत ब्याज दर पर) तथा ट्रेक्टर ट्राली योजना इकाई लागत 8.71 लाख रु. (8 प्रतिशत ब्याज दर पर) शामिल है। इस योजना के लिए आवेदक जाति, निवास, आय तहसीलदार एवं अनुबभागीय अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते है। आवेदक रायगढ़ जिले का मूल निवासी हो एवं उसकी आयु 18 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक को 1 लाख से अधिक ऋण राशि में प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाना अनिवार्य होगा एवं आवेदक के पास व्यवसाय संचालन करने का अनुभव एवं व्यवसाय के लिए स्वयं अथवा किराये का स्थान होना आवश्यक है। इस संबंध में अन्य जानकारी के लिए अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कलेक्टर कार्यालय कक्ष क्रमांक 94 में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर संपर्क कर सकते है।